

**कार्यालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां, जिला बारां (राज0)**

क्रमांक:- स्टेनो/प्रशा./26


दिनांक :-19.04.2021

**-:: कार्यालय आदेश ::-**

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक स्टेनो/प्रशा./19 दिनांक 25.03.2021 के द्वारा जिला बारां न्यायिक क्षेत्र के **अटरू + छबड़ा + छीपाबडोद ब्लॉक** के समस्त बेल/रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्य के लिए दिनांक 21.04.2021(रामनवमी) के राजकीय अवकाश हेतु श्री सुरेश कुमार-ii अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छीपाबडोद-(मो0नं0-9461879796) को अधिकृत किया गया था। किन्तु श्री सुरेश कुमार-ii अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छीपाबडोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र तथा श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां से प्राप्त मौखिक अनुमति के आधार पर, उक्त आदेश में आंशिक संशोधन कर पुनः आदेश जारी किया जाता है कि दिनांक 21.04.2021(रामनवमी) के राजकीय अवकाश हेतु श्री राजेश कुमार मीना, अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छबड़ा (मो0नं0-9414771677) को जिला बारां न्यायिक क्षेत्र के **अटरू + छबड़ा + छीपाबडोद ब्लॉक** के समस्त बेल/रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

अतः उक्त पीठासीन अधिकारी श्री राजेश कुमार मीना को निर्देशित किया जाता है कि वह बेल/रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु उक्त निर्धारित दिनांक को अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहकर उक्तानुसार कार्य सम्पादन करें।

नोट:- उपरोक्त के अलावा संबंधित थानाधिकारी अपने मूल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी यदि वे अपने मुख्यालय पर मौजूद हैं, से भी रिमाण्ड आदि ले सकेंगे तथा आवश्यक कार्य कर सकेंगे।




(ऋतु मीणा)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां  
जिला बारां(राज0)

क्रमांक :- ५५७-५५९

दिनांक :-19.4.21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां
2. जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को प्रेषित कर लेख है कि बारां जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारियों को आदेश से सूचित करने का श्रम करें।
3. श्री सुरेश कुमार-ii अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छीपाबडोद
4. श्री राजेश कुमार मीना, अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छबड़ा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली बारां
6. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय, बारां को बारां न्याय क्षेत्र की Website -districts.ecourts.gov.in/ baran पर इस आदेश को अपलोड करने हेतु।
7. कार्यालय प्रति ।



(ऋतु मीणा)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां  
जिला बारां(राज0)